मुन्तकिली प्रकरण सं0 67/2015 अनवानी जगदीश पुत्र हजारीराम जाति छिम्पा निवासी 8 एसएचपीडी तहसील सूरतगढ वि/s 1–कमला पत्नि रामप्रताप 2–दीपाराम पुत्र रामप्रताप 3–लीलादेवी पुत्री रामप्रताप 4–काली पुत्री रामप्रताप 5– सोना पुत्री रामप्रताप 6– पुष्पादेवी पुत्री रामप्रताप 7–सुरजाराम पुत्र हजारीराम 8–शांति पुत्री हजारीराम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.09.2016

प्रार्थी जगदीश के अभिभाषक श्री बलराम स्वामी उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 1 से 6 व 8 के अभिभाषक श्री जितेन्द्र सरपाल उपस्थित है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 से 6 व 8 के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ में लंबित वाद संख्या 213/2013 जगदीश बनाम रामप्रताप मय प्रा0 पत्र धारा 212 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ में लंबित वाद संख्या 213/2013 जगदीश बनाम रामप्रताप मय प्रा0 पत्र धारा 212 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को अन्यत्र स्थान पर लगाया जा चुका है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

1580
9-5-16

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 05.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर